

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,  
उ०प्र० जल निगम (नगरीय),  
लखनऊ।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ : दिनांक 14 जुलाई, 2023

**विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में राज्य सेक्टर कार्यक्रम के सीवरेज एवं जल निकासी योजनान्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ में I & D कार्य एवं सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट के Overhauling की परियोजना हेतु चतुर्थ किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (नागर), उ०प्र० जल निगम(नगरीय), लखनऊ के पत्र संख्या-430/नागर-1/032-0410(प्रया० क्षेत्र)/2023, दिनांक 18.05.2023 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सेक्टर कार्यक्रम के सीवरेज एवं जल निकासी योजनान्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ में I & D कार्य एवं सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लांट की Overhauling की परियोजना की निर्धारित लागत रूपये 2072.34 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ ही शासनादेश संख्या- 80/2021/9648/नौ-5-2021-51बजट/2021, दिनांक 27-08-2021 द्वारा प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू० 518.00 लाख, शासनादेश संख्या- 331/2021/929/नौ-5-2022-51बजट/2021, दिनांक 15-03-2022 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू० 500.00 लाख एवं शासनादेश संख्या- 152/2022/4688/नौ-5-2022/001-51बजट/2021, दिनांक 25-10-2022 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि रू० 536.00 लाख उपयोग हो जाने के दृष्टिगत चतुर्थ किश्त के रूप में रू० 414.00 लाख (रू० चार करोड़ चौदह लाख मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने पर निम्नलिखित प्रतिबन्धों एवं शर्तों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं-

### नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

- (1) स्वीकृत की जा रही धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम तथा विशेष सचिव/संयुक्त सचिव, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्तारक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार /भारतीय स्टेट बैंक से आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि पोस्ट आफिस/डिपाजिट खाता में नहीं रखी जायेगी।
- (2) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से यह सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्यत्र न तो स्वीकृत है और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (3) प्रश्नगत कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।
- (4) स्वीकृत धनराशि का कोई भी अंश किसी बैंक/पोस्ट आफिस/डिपाजिट खाता में नहीं रखा जायेगा।
- (5) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (6) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य/मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद में किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि का व्यवर्तन अन्य किसी कार्य में नहीं किया जायेगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- (7) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (8) प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय में पूर्ण किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- (9) कार्यस्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा नियत डिस्पले बोर्ड पर कार्य का पूर्ण विवरण कार्यदायी संस्था कार्य प्रारम्भ होने, कार्य पूर्ण होने की संभावित तिथि आदि का उल्लेख किया जायेगा।

(10) स्वीकृत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र कार्यालय महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद एवं निदेशक, स्थानीय निकाय/शासन को नियमानुसार संबंधित कार्यदायी संस्था द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।  
(11) इस संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 के सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 4,14,00,000 ( रुपये चार करोड़ चौदह लाख मात्र ) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 037 लेखा शीर्षक 2215021070300 सीवरेज एवं जलनिकासी हेतु व्यवस्था मानक मद 35 पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक ) अनुभाग - 1 के कार्यालय जाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भूतदीय,  
14.07.2023  
(कल्याण बनर्जी),  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

संख्या-58/2023/2677(1)/नौ-5-2023/001-51Budget-2021, तद्दिनांक।

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-**

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार(लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 3- मण्डलायुक्त, प्रयागराज।
- 4- जिलाधिकारी, प्रतापगढ़।
- 5- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
- 6- मुख्य अभियंता (प्रया०क्षे०), उत्तर प्रदेश जल निगम, प्रयागराज।
- 7- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- 8- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
- 9- निजी सचिव, मा० मंत्री जी, नगर विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
- 10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9
- 11- गार्ड फाईल/कम्प्यूटर सेल वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।

आजा से  
14.07.2023  
(कल्याण बनर्जी),  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

## Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024  
आवंटन दिनांक-14/07/2023


प्रेषण संख्या:- 58  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-58-2023-2677-9-5-2023-001-51B-2021  
अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
02 - मल-जल तथा सफाई  
107 - मल - जल सेवाएं  
03 - सीवरेज एवं जलनिकासी हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	41400000 278900000	41400000 278900000
	योग	वर्तमान प्रगामी	41400000 278900000	41400000 278900000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया चार करोड़ चौदह लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया सत्ताइस करोड़ नवासी लाख

  
(कल्याण बनर्जी)  
संयुक्त सचिव